प्रेस नोट थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर दिनांक 20.09.2024

बलात्कार सहित हत्या का अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.09.2024 को नफीसा पत्नी स्व0 दिलशाद निवासी जहानपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर ने उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरी पुत्री अक्सरा उम्र करीब 15 वर्ष जो शाम को 16.00 बजे दिनांक 14.09.2024 को कोचिंग पढने के लिए गयी थी वापस नहीं आयी। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 251/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ था तथा दिनांक 15.09.2024 को गुमशुदा अक्सरा का शव जाफराबाद बाईपास बहद ग्राम जाफराबाद थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर से बरामद हुआ था जिसके सिर पर काफी चोटें थी। शव को कब्जा पुलिस लेकर पोस्ट मार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण सिर में लगी चोटो के कारण होना आया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका का 5-6 माह की गर्भवती होना आया जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1)/238/65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट बढोत्तरी की गयी। जिसमें श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बिन्दकी जनपद फतेहपुर के पर्येवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बिन्दकी द्वारा थाना स्तर पर अपराधियों के गिरफ्तारी एवं अपराध के रोकथाम हेतु टीमों का गठन किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुक्रम में काफी संख्या में सीसीटीवी कैमरे देखे गये व कई मोबाइल नम्बरो का सर्विलांश किया गया तथा SOG टीम, सर्विलांश टीम , इंटेलीजेंस विंग व फील्ड यूनिट टीम द्वारा व मुखबिरान खास द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु सतत् प्रयास किया गया तथा कई स्वतन्त्र साक्षियों से पूछताछ की गयी व कई संदिग्ध व्यक्तियो के ब्लड सैम्पल डीएनए मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया तथा उक्त घटना के अनावरण के अनुक्रम में दिनांक 20.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक बिन्दकी संजय कुमार पाण्डेय , SSI सत्यदेव गौतम, SI नीरज कुशवाहा, कां0 विशाल सिंह , का0 तपेन्द्र बघेल मय सरकारी वाहन मय चालक अमित सिंह व SOG की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवेंद्र उर्फ शीबू पुत्र मुंशीलाल निवासी मो0 पैगंबरपुर कस्बा व थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर उम्र 31 वर्ष को वेद गेस्ट हाउस के पास ललौली रोड कस्बा व थाना बिन्दकी से दिनांक 20.09.2024 को समय 3.50 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही/कब्जे से एक अदद आलाकत्ल लोहे की पाइप व एक अदद घटना में प्रयुक्त वाहन वैगनार स0 UP14CR6953 व एक अदद मोबाइल नोकिया टच स्क्रीन व 700 रु बरामद किये गये।अभियुक्त से उक्त घटना की पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा नाबालिक अक्सरा को हत्या के इरादे से दिनांक 14.09.2024 की शाम को बहकाकर ले जाया गया तथा उसे नशीली दवा खिला कर उसकी हत्या कर उसके शव को छिपा दिया गया और पूर्व में उसके द्वारा अक्सरा के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई थी और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा पैदा न हो सके, इस प्रकार का कृत्य शिवेंद्र उर्फ शीबू द्वारा किया गया जिसके पश्चात साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2) बीएनएस को 140 बीएनएस में तरमीम किया तथा 91/123 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 140/103(1)/238/65(1)/91/123 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम शिवेंद्र उर्फ शीबू पुत्र मुंशीलाल निवासी मो0 पैगंबरपुर कस्बा व थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर सम्पादित होगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. शिवेंद्र उर्फ शीबू पुत्र मुंशीलाल निवासी मो0 पैगंबरपुर कस्बा व थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर उम्र 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद आलाकत्ल लोहे की पाइप
2. एक अदद घटना में प्रयुक्त वाहन वैगनार स0 UP14CR6953
3. एक अदद मोबाइल नोकिया टच स्क्रीन
4. 700 रु नगद

अपराधिक इतिहास शिवेंद्र उर्फ शीबू

1. मु0अ0स0 251/24 धारा 140/103(1)/238/65(1)/91/123 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टींम

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
2. व0उ0नि0 सत्यदेव गौतम, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
3. उ0नि0नीरज कुशवाहा, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
4. कां0 तपेन्द्र बघेल, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
5. कां0 विशाल सिंह, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली SOG टींम

1. प्रभारी SOG नि0 श्री विनोद कुमार यादव
2. मुख्य आरक्षी अनिल सिंह
3. मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कुशवाहा
4. आरक्षी विपिन मिश्रा
5. आरक्षी अतुल त्रिपाठी
6. आरक्षी अभिमन्यु सिंह पटेल
7. आरक्षी बृजेश पल
8. आरक्षी राहुल कुमार

(संजय कुमार पाण्डेय)
प्रभारी निरीक्षक
थाना बिन्दकी